दिनांक 21.08.2020 को सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में VC के माध्यम से संपन्न बैठक की कार्यवाही :–

दिनांक 20.08.2018 को माननीय मुख्यमंत्री, बिहार सरकार द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग अन्तर्गत क्रियान्वित योजनाओं का शिलान्यास/कार्यारम्भ/उदघाटन कार्यक्रम समारोह में दिये गये निदेश से आप सभी भली–भांति अवगत हैं। उक्त समारोह में निम्न महत्तवपूर्ण बाते अनुपालन हेतु निदेशित किया गया है।

(क) GTSNY योजना अन्तर्गत लम्बित सभी योजनाओं का सितम्बर–2020 तक निर्माण कार्य हर–हाल में पूर्ण करायी जाय।

(ख) मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना की पूर्ण स्वीकृति इसी वित्तीय वर्ष (2020–21) में प्रदान करते हुए यथाशीघ्र सम्पर्कता योजना का प्रथम चरण पूर्ण की जाय।

(ग) ग्रामीण कार्य विभाग की सभी पथ हर परिस्थिति में उपयोगी/राईडिंग सरफेस अच्छा होना चाहिए। इस हेतु आवश्यकता होने पर निविदा आदि की जटिल समस्याओं में समय नष्ट नहीं करते हुए विभागीय रूप में खराब पथों का अनुरक्षण की जाय।

उक्त के क्रम में निम्न निदेश दिये जाते है:–

1. सात निश्चय के तहत संचालित ग्रामीण टोला सम्पर्क निश्चय योजनान्तर्गत सभी लम्बित योजनाओं जिसमें निजी भूमि की समस्या नहीं है का निर्माण कार्य 15 सितम्बर–2020 तक तथा निजी भूमि की समस्या वाले पथों में कार्यपालक अभियंता व्यक्तिगत अभिरूचि लेकर जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सतत् लीज नीति के तहत भूमि अधिग्रहण की कर्रवाई सितम्बर–2020 तक पूर्ण करते हुए अक्टूबर–2020 तक निर्माण कार्य पूर्ण की जाय। योजना का निर्माण कार्य लम्बित रहने पर दोषी पदाधिकारी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

(अनुपालन–सभी कार्यपालक अभियंता)

2. पंचवर्षीय अनुरक्षण अन्तर्गत निर्मित पथों के निर्माण के चार वर्ष छः माह के पश्चात् नई अनुरक्षण नीति–2018 के तहत विस्तृत सर्वेक्षण करते हुए, अगर आवश्यक हो तो ट्रैफिक गणना के आधार पर पथ का चौड़ीकरण–सुदृढ़ीकरण, का डी0पी0आर0 एक माह के समय–सीमा में पथ सुरक्षा मानकों और वृक्षारोपन के साथ स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जाय।

(अनुपालन–सभी कार्यपालक अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी मुख्य अभियंता)

3. प्रमण्डलवार राज्य कोर–नेटवर्क/GTSNY कोर–नेटवर्क से उत्पन्न MMGSY अन्तर्गत सभी घटकों (सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/विश्व बैंक/ब्रिक्स) से संबंधित सभी असम्पर्कित पथों का अवशेष DPR शीर्षवार सूची शुक्रवार 28 अगस्त 2020 तक उपलब्ध करायी जाय।

(अनुपालन–सभी कार्यपालक अभियंता)

4. निविदित योजना का प्रोक्योरमेंट अर्थात निविदा निष्पादन हेतु सभी कार्यपालक अभियंता द्वारा कार्य योजना 24 घंटा की समय सीमा में उपलब्ध करायी जाय।

(अनुपालन–सभी कार्यपालक अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी मुख्य अभियंता)

5. कन्ट्रैक्ट प्रबंधन के लिए कार्य की समाप्ति तिथि के पश्चात की लम्बित सभी परियोजनाओं हेतु कार्य योजना 15 दिनों की समय सीमा में उपलब्ध करायी जाय। साथ ही साथ एकरारनामा की सुसंगत कंडिकाओं के आलोक में यदि आवश्यक हो तो संवेदक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाय।

(अनुपालन–सभी कार्यपालक अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी मुख्य अभियंता)

6. MIS में प्रति सप्ताह शुक्रवार को प्रोक्योरमेन्ट मोडयूल/प्रगति मोडयूल/वित्तीय मोडयूल/ कार्य पूर्णता सम्बन्धी अद्यतन प्रविष्टि सहायक आई0टी0 प्रबंधक के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित किया जाय। MIS में Habitation Module का अद्यतन नहीं किये जाने पर सम्बंधित कार्यपालक अभियंता को जवाबदेह माना जाएगा।

(अनुपालन–सभी कार्यपालक अभियंता)

7. MIS Module पर पूर्व की बैंक पद्धति/CFMS पद्धति द्वारा पथों में भुगतान की गई राशि का रोकड़ पंजी से मिलान कर अद्यतन प्रविष्टि कराई जाय।

(अनुपालन–सभी कार्यपालक अभियंता)

8. पथ में गुणवत्ता के लिए अंकित प्रतिकूल टिप्प्णी के क्रम में संवेदक से कार्य में त्रुटि सुधार अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित किया जाय ताकि ATR निष्पादन हेतु PQM को भेजा जा सके। इस सम्बंध में पत्राचार गुणवत्ता प्रबंधन कोषांग अन्तर्गत की जाय। एकरारनामा में निर्धारित अवधि से अधिक समय तक ATR लम्बित रखनेवाले संवेदक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाय।

(अनुपालन–सभी कार्यपालक अभियंता)

9. माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 20 अगस्त के समारोह में पथों के रखरखव में लापरवाही पर गहरी चिन्ता व्यक्त की गई है। अतएव निदेश दिया जाता है कि पूर्ण पथों में लगातार गत दो वर्षों तक पाँच वर्षीय रख–रखाव नहीं करने वाले संवेदकों के विरूद्ध एकरानामा की सुसंगत कंडिकाओं के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्रवाई (डिबार/काली सूची) करते हुए विभागयी रूप में पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य की जाय।

(अनुपालन–सभी कार्यपालक अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी मुख्य अभियंता)

10. धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

(पंकज कुमार पाल)
सचिव,
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक–BRRDA (HQ)-MMGSY-33/17 903 पटना, दिनांक– 21.08.2020

प्रतिलिपिः–मुख्य अभियंता–1, 2, 3/सभी अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल/सभी कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

(पंकज कुमार पाल)

ज्ञापांक–BRRDA (HQ)-MMGSY-33/17 903 पटना, दिनांक– 21.8.2020

प्रतिलिपिः–सभी नोडल पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

(पंकज कुमार पाल)

ज्ञापांक– BRRDA (HQ)-MMGSY-33/17 903 पटना, दिनांक– 21.8.2020

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव को माननीय, मंत्री महोदय के आवलोकनार्थ समर्पित।

(पंकज कुमार पाल)